



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1943 (श10)
(सं0 पटना 813) पटना, सोमवार, 27 सितम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2021

एस0 ओ0 134, दिनांक 27 सितम्बर 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 09, दिनांक 03 जनवरी, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 20, दिनांक 03 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, नौवें और दसवें परंतुकों में, "अगस्त, 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "नवंबर, 2021 के 30वें दिन" अंको, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1975)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Mk(E ifrek]

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

27 सितम्बर 2021

एस० ओ० 134, दिनांक 27 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1975)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

27th September 2021

S.O. 134, Dated 27th September 2021— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 09 dated the 03rd January, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 20, dated the 03rd January, 2019, namely:—

In the said notification, in the ninth and tenth provisos, for the figures, letters and words “31st day of August, 2021”, where ever they occur, the figures, letters and words “30th day of November, 2021” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 1975]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 813-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>